..यालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न.100 / 2020

दिनांक 28.2.2020

सरकार बनाम अर्जून वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम केशवानाराजपूत तहसील कोटपूतली के ख0 न0 432 / 927 / 0.19है0 किस्म बा0 पर अर्जून, कृष्ण, चेतराम पुत्र देवकरण जाति गुर्जर सा0देह तहसील कोटपूतली ने सरसों की फसल कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये।गैर सायलान द्वारा मौखिक रूप से अतिक्रमण किया जाने की स्वीकारोक्ति की परन्तु कोई जबाब दस्तावेजात पेश नहीं किये गये।

अतः अतिकमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायलान अर्जून, कृष्ण, चेतराम पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी सा0देह0 तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम केशवानाराजपूत तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 432 / 927 / 0.19 है0किस्म बारानी भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायलान द्वारा कास्त की गई सरसों की फसल को कब्जेराज लिया जाकर सरसों की फसल को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 1.00 रू. का पचास गुणा 50 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते फसल निलामी, बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 28.2.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner